

CBI जाँच हेतु राज्यों की सहमति

प्रलिस के लिये:

[केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो](#), [संघवाद](#), [भारतीय न्याय संहिता](#), [सातवीं अनुसूची](#), [केंद्रीय सतर्कता आयोग](#)

मेन्स के लिये:

CBI से संबंधित मुद्दे और सफारिशें, संस्थागत सुधार

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(CBI\)](#) को अब राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जाँच शुरू करने के लिये राज्य सरकार से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।

- यह कदम कई राज्यों द्वारा CBI जाँच के लिये सामान्य सहमति वापस लेने की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जिससे CBI की स्थिति, कार्य और शक्तियों को परभावित करने के लिये नए कानून की आवश्यकता के बारे में चर्चा हो रही है।

मध्य प्रदेश ने CBI जाँच के लिये पूर्व सहमतिक्यों अनिवार्य की?

- यह नरिणय [भारतीय न्याय संहिता \(BNS\)](#) में बदलावों और CBI के साथ हाल ही में हुए परामर्शों पर विचार करता है।
 - इसके अलावा [भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988](#) की धारा 17A के तहत, एजेंसियों को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जाँच करने के लिये अनुमति की आवश्यकता होती है।
 - इसमें प्रावधान है कि PC अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किये गए किसी भी अपराध में पुलिस अधिकारी द्वारा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई जाँच नहीं की जाएगी।
- किसी भी अन्य अपराध के लिये सभी पछिली सामान्य सहमति और किसी भी अन्य अपराध के लिये राज्य सरकार द्वारा केस-दर-केस आधार पर दी गई कोई भी सहमति लागू रहेगी।
- मेघालय, मजिोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और पंजाब समेत कई राज्यों ने CBI जाँच के लिये सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- मध्य प्रदेश के नरिणय के नहितारथ:
 - लिखित सहमति की आवश्यकता राज्य के अधिकारियों के खिलाफ CBI जाँच शुरू करने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है।
 - इससे राज्य सरकार और CBI दोनों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, जिससे भ्रष्टाचार की जाँच की दक्षता प्रभावित हो सकती है।
 - यह नरिणय राज्यों द्वारा केंद्रीय जाँच एजेंसियों पर अधिक नियंत्रण रखने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो भारत में [संघीय शासन की गतिशीलता](#) को प्रभावित करता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: [संथानम समिति की भ्रष्टाचार निवारण समिति \(1962-1964\)](#) की सफारिशों के बाद, CBI की आधिकारिक स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
 - यह [दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946](#) से अपनी जाँच शक्तियाँ प्राप्त करता है।
 - यह [कार्मिक, लोक शकियात और पेंशन मंत्रालय](#) के अधीन कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है।
 - [भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम](#) के तहत जाँच के संदर्भ में CBI की नगरानी [केंद्रीय सतर्कता आयोग](#) द्वारा की जाती है।
 - यह [इंटरपोल सदस्य देशों](#) के साथ जाँच के समन्वय के लिये [नोडल पुलिस एजेंसी](#) के रूप में कार्य करता है।
 - CBI का नदिशक [दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना \(Delhi Special Police Establishment- DSPE\)](#) का [पुलिस महानरीक्षण](#)

(IGP) भी होता है जो संगठन के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार होता है।

- CBI नदिशक की नियुक्ति: प्रारंभ में DSPE अधिनियम, 1946 के तहत नियुक्ति की जाती थी। वनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सफ़ारिशों के बाद, वर्ष 2003 में इस प्रक्रिया को संशोधित किया गया।
 - वर्तमान व्यवस्था में, लोकपाल अधिनियम 2014 के तहत प्रधानमंत्री, **वपिकष के नेता** और **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) की एक समिति नियुक्ति की सफ़ारिश करती है।
 - नदिशक का कार्यकाल दो वर्ष का होता है जैसे **जनहति में पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है**।
 - वर्ष 2021 में, **राष्ट्रपति** ने CBI और **प्रवरत्न नदिशालय** के नदिशकों के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने के लिये दो अध्यादेश जारी किये।
 - DSPE अधिनियम, 1946 में किये गए संशोधनों के अनुसार, CBI प्रमुख का कार्यकाल अब तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
- CBI के अधिकार क्षेत्र को नयित्तरति करने वाला वधिकि ढाँचा:
 - CBI दलिली वशिष पुलसि स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करती है।
 - DSPE अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, **CBI अधिकारियों को केंद्रशासति प्रदेशों या रेलवे क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी राज्य क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी**।
 - CBI का वधिकि आधार **संघ सूची की प्रवषिट 80** पर आधारित है, जो **अन्य राज्यों को उनकी अनुमति से पुलसि शक्तियों का वसितार करने की अनुमति देता है**।
 - केंद्रशासति प्रदेशों के लिये एक बल होने के नाते CBI केवल राज्यों की सहमति से ही जाँच कर सकती है, जैसा **कक्षिष 1970 में एडवांस इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड** मामले में नरिधारित किया गया था।
 - सहमतिया तो मामला-वशिषिट या सामान्य हो सकती है। सामान्य सहमति आमतौर पर राज्यों के अंदर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जाँच को सुवधाजनक बनाने के लिये प्रदान की जाती है, क्योंकि **संवधान की सातवीं अनुसूची** के तहत 'पुलसि' राज्य सूची की प्रवषिट 2 में है।
- प्राथमिकि कार्य:
 - **भ्रष्टाचार वशिषी अपराध**: सरकारी अधिकारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार नवारण अधिनियम के तहत मामलों की जाँच करना।
 - **आर्थिक अपराध**: प्रमुख वत्ततीय घोटाले, आर्थिक धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं और अन्य प्रतबिधति वस्तुओं की तस्करी से नपिटना।
 - **वशिष अपराध**: आतंकवाद, बम वसिफोट, फरिती हेतु अपहरण और माफिया से संबंधित गतविधियों जैसे गंभीर एवं **संगठित अपराधों** की जाँच करना।
 - **स्वतः संज्ञान मामले**: इसके द्वारा केंद्रशासति प्रदेशों में और केंद्र सरकार के प्राधिकरण के संदर्भ में उनकी सहमति से राज्यों में जाँच शुरू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी अपराधों की जाँच करने के लिये CBI को नरिदेश दे सकते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- ❖ **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- ❖ **मॉब लिंगिंग:** मॉब लिंगिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- ❖ सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- ❖ **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- ❖ **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- ❖ **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- ❖ **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- ❖ **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- ❖ **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- ❖ **फेक न्यूज:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- ❖ **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- ❖ **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- ❖ **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- ❖ **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- ❖ **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- ❖ **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- ❖ **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।



//

कौन से मुद्दे CBI के लिये नए कानून की आवश्यकता को उजागर करते हैं?

- ❖ **स्पष्ट कानून की आवश्यकता:** वर्ष 2023 में एक संसदीय पैनल ने CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु नए कानून की आवश्यकता पर बल दिया।
 - वर्तमान वधायी ढाँचा, सामान्य सहमति प्रदान करने में राज्यों की बढ़ती अनिच्छा के कारण CBI की जाँच करने की क्षमता को जटिल बना रहा है।
- ❖ **नियुक्तिकरण संबंधी समस्याएँ:** CBI में स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 है, जबकि इस समय लगभग 1,700 पद रिक्त हैं। कार्यकारी रैंक, वधि अधिकारी और तकनीकी अधिकारियों के पदों पर रिक्तियों के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
 - इन रिक्तियों के कारण जाँच की गुणवत्ता और एजेंसी की समग्र प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- ❖ **CBI की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता:** CBI के पास दर्ज मामलों का वविरण, उनकी जाँच में प्रगत और परणाम, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। CBI की वार्षिक रिपोर्ट भी आम जनता के लिये सुलभ नहीं है।
- ❖ **आलोचना:** CBI अभी भी **DPSE अधिनियम 1946** द्वारा नरिदेशित है, जो इसकी जवाबदेही और स्वायत्तता में बाधा डालता है। इसकी आलोचना **राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने तथा अनुचित दबाव के प्रति संवेदनशील होने के लिये की जाती रही है।**
 - वर्ष 2013 में **गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वैधानिक समर्थन की कमी के कारण CBI को असंवैधानिक माना था**, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नरिणय पर रोक लगा दी। इसमें भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के उदाहरण भी सामने आए हैं।

आगे की राह

- वर्ष 2023 में एक संसदीय पैनल ने CBI की स्थिति, कार्य और शक्तियों को परभाषित करने और इसकी कार्यप्रणाली में नष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये एक नया कानून बनाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश राज्यों द्वारा सामान्य सहमति प्रदान करने में बढ़ती अनिच्छा के जवाब में आई थी, जिससे CBI की जाँच करने की क्षमता जटिल हो गई थी।
 - इस तरह के कानून से विभिन्न राज्यों में CBI के कार्य नष्पिादन में आने वाली अस्पष्टताओं और चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।
- इस पैनल ने सिफारिश की है कि **CBI के नदिशक** को तमिाही आधार पर रकितियों को भरने की प्रगतिकी नगिरानी करनी चाहयि। CBI को **प्रतनिधुक्तपिर नरिभरता कम करनी चाहयि** और अधिक स्थायी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के पदों के लिये, भरती करनी चाहयि।
- CBI को अपनी वेबसाइट पर **केस के आँकडे और वार्षकि रपिरट प्रकाशति करनी** चाहयि। सूचना तक पहुँच प्रदान करने से CBI की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह, जमिेदार, कुशल और पारदर्शी बनेगी।
- इस पैनल ने सुझाव दया कि CBI के पास एक **केंद्रीकृत केस प्रबंधन प्रणाली होनी चाहयि**, जिसमें केस का वविरण और प्रगतिशामलि हो। सिस्टम को केस की प्रगतपिर नज़र रखने की अनुमति देनी चाहयि तथा यह आम जनता हेतु सुलभ होनी चाहयि।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिये नए कानून की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

2021

प्रश्न. एक राज्य-वशिष के अंदर प्रथम सूचना रपिरट दायर करने तथा जाँच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालाँकि सी. बी. आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के वशिष संदर्भ में वविचना कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/consent-of-states-for-cbi-investigations>

